संख्या 1695 / उन्तीस(2)07–2(111पे0) / 2007

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 25 सितम्बर, 2007

विषयः– राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत काशीपुर जलोत्सारण योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 2934 / धनावंटन नगरीय / 2007–08 दिनांक 17.08.07 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल की काशीपुर जलोत्सारण योजना के राडिंग मशिन की आपूर्ति, मेन हॉल कवर्स, डीजल इंजन सेट, स्टार्टर एंव स्पेयर पार्टस की आपूर्ति, पैनल बोर्ड का अधिष्ठापन, पम्प सैट की मरम्मत, सीवेज कुओ एवं सीवर लाईन की सफाई एंव मेन हॉलों को रोड के ऊपर उठाये जाने आदि कार्यो सम्बन्धी रू0 12.318 लाख के आगणन पर टीएसी के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 12.25 लाख (रू0 बारह लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि जिन निर्माण कार्यो पर व्यय की जायेगी उन कार्यो की लागत के सापेक्ष उ0प्र0 शासन की वित्त (लेखा)अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–ए–2–87(1)दस–97–17(4) / 75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार 12.50 प्रतिशत की धनराशि ही सैंटेज चार्जेज के रूप में अनुमन्य होगी।

.....2

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन/व्यय धनराशि के विवरण की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्यो की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति मासिक रूप से यथासमय शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। धन का उपयोग उन्ही योजनाओं पर किया जाय जिनके लिये स्वीकृति दी जा रही है। एक योजना की धनराशि दूसरी योजना पर कदापि व्यय न की जाय।

5– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– व्यय करने के पूर्व बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों, टैंडर एवं अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक अथवा इसके पूर्व ही उपयोग कर जिया जाय ताकि योजना शीघ्र पूर्ण होकर उसका लाभ शीघ्र जनता को प्राप्त हों। उक्तानुसार पूर्ण उपयोग व कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उक्त तिथि तक प्रस्तुत कर दिया जाय।

8– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेशण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त करनी आवश्यक होगी, तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

9– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

10– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

11– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।

12– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एंव लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

13– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

.....3

14– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

15– जीपीडब्लू फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

16– योजना समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जायेगी तथा किसी भी दशा में योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन मान्य नहीं होगा।

17– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक''2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत –101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–03–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन/ जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता'' के नामे डाला जायेगा ।

18– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 435/XXVII (2)/2007 दिनांक 24 सितम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

सं0 1695(1) /उन्तीस(2)–2(111पे0)/2007,तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सेल)/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव